

# नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश

टी.सी.जी./1-ए-वी/5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: 833/वा.नि./वायु-प्रदूषण-एन.सी.आर./टीसीपी/2024-25

दिनांक : 31-12-2024

सेवा मे,

उपाध्यक्ष,

गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़-पिलखुआ, बुलन्दशहर-खुर्जा, बागपत-बडौत-खेकड़ा एवं मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।

**विषय: Revocation of actions under Stage IV ('Severe+' Air Quality) and Stage III ('Severe' Air Quality) of GRAP and intensifying actions under Stage-I & II of revised Graded Response Action Plan.**

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया शासन के पत्र संख्या-1/828013/2024, 8-3099/466/2024 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 (छायाप्रति समस्त संलग्नको सहित संलग्न) जो आपको सम्बोधित एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रमुख सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-7, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या-भा.स.-224/81-7-2024-09(रिट)/2016 टी.सी.-3 दिनांक 06.12.2024 के माध्यम से निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 05.12.2024 की प्रति उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि **Graded Response Action Plan (GRAP)** के चरण IV ('गम्भीर+'वायु गुणवत्ता) एवं चरण III ('गम्भीर' वायु गुणवत्ता) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों को समाप्त करने तथा संशोधित **Graded Response Action Plan (GRAP)** के चरण I एवं II के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों को और शीघ्रता से किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2. इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि संलग्न प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उ.प्र. शासन के पत्र संख्या-भा.स.-224/81-7-2024-09(रिट)/2016 टी.सी.-3 दिनांक 06.12.2024 द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। उक्त से संबंधित आख्या पर्यावरण विभाग एवं उ.प्र. प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को उपलब्ध कराते हुए उसकी एक प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे शासन की अपेक्षानुसार आख्या उपलब्ध करायी जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

**पत्रांक एवं दिनांक तदैव**

प्रतिलिपि:- विशेष सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्या-1/828013/2024, 8-3099/466/2024 दिनांक 19 दिसम्बर, 2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक

संख्या-भा0स0-<sup>224</sup>81-7-2024-09(रिट)/2016 टी0सी0-3

प्रेषक,

अनिल कुमार,  
प्रमुख सचिव,  
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,

नगर विकास/आवास एवं शहरी नियोजन/परिवहन/गृह/ऊर्जा/  
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत/कृषि/अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास/  
लोक निर्माण/सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग तथा निर्यात प्रोत्साहन/  
खाद्य एवं रसद/श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।

108703/VS(R)  
आठ-3  
1/4

2- चेयरमैन,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग  
प्राधिकरण, नई दिल्ली।

3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक और  
विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।

09 (श्री० गुरुप्रसाद)  
प्रमुख सचिव,  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उत्तर प्रदेश शासन।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नोएडा/ग्रेटर नोएडा/  
यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी।

5- प्रबन्ध निदेशक,  
पश्चिमांचल विद्युत वितरण  
निगम लि०, मेरठ।

1872/VS(R)4/2024  
4.S. (A)

6- मुख्य कार्यपालक अधिकारी,  
नोएडा पावर कम्पनी लि०,  
ग्रेटर नोएडा।7- प्रबन्ध निदेशक,  
उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन  
निगम, लखनऊ।

8- निदेशक,

उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय  
ऊर्जा विकास अभिकरण,  
लखनऊ।

9- जिलाधिकारी,  
गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर,  
बुलन्दशहर, बागपत, हपुड,  
मेरठ, शामली एवं मुजफ्फरनगर।

10.1 (श्री० सुभाष कुमार राय)  
विशेष सचिव  
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग,  
उ0प्र0 शासन

10- मण्डलायुक्त,  
मेरठ, सहारनपुर।11- नगर आयुक्त,  
नगर निगम, मेरठ एवं  
गाजियाबाद।

सुभाष कुमार राय  
11/12

12- निदेशक,  
विद्युत सुरक्षा, 30प्र0, लखनऊ।

13- सदस्य सचिव,  
30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

14- अधिशाषी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद/नगर  
पंचायत, बुलन्दशहर, बागपत,  
हपुड, मेरठ, शामली एवं  
मुजफ्फरनगर।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु  
परिवर्तन अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक: 06 दिसम्बर, 2024

विषय-Revocation of actions under Stage IV ('Severe+' Air Quality) and Stage III ('Severe' Air Quality) of GRAP and intensifying actions under Stage-I & II of revised Graded Response Action Plan.

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सीएक्यूएम), नई दिल्ली के पत्र संख्या-120017/27/ GRAP/2021/CAQM-1159(DT), दिनांक 05.12.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Graded Response Action Plan (GRAP) के चरण IV ('गंभीर+' वायु गुणवत्ता) एवं चरण III ('गंभीर' वायु गुणवत्ता) के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों को समाप्त करने तथा संशोधित Graded Response Action Plan (GRAP) के चरण I एवं II के अन्तर्गत की गयी कार्यवाहियों को और शीघ्रता से किये जाने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- अतः इस संबंध में निदेशक (तकनीकी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबन्धन आयोग (सीएक्यूएम), नई दिल्ली के उक्त पत्र दिनांक

05.12.2024 की छयाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 आयोग के उक्त निर्देशों का अनुपालन तत्काल सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन (Email-soenvups@rediffmail.com) एवं उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ (Email-ms@uppcb.in) को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त (ई-मेल से प्रेषित)।

भवदीय,

Signed by

Anil Kumar

Date: 06-12-2024 13:37:51 अनिल कुमार)  
प्रमुख सचिव।

क्रमांक 224 / 81-7-2024

SBI/PCF/24

20-7 Forecast



राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्र  
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग  
Commission for Air Quality Management in  
National Capital Region and  
Adjoining Areas

5/12/24  
(अनिल कुमार)  
प्रमुख सचिव,  
CAQM

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,  
उत्तर प्रदेश, ग्वाल्हेर  
5th December, 2024

No.120017/27/GRAP/2021/CAQM-1159(07)

### ORDER

**Sub.: Revocation of actions under Stage IV ('Severe+' Air Quality) and Stage III ('Severe' Air Quality) of GRAP and intensifying actions under Stage-I & II of revised Graded Response Action Plan.**

The Sub-Committee for invoking actions under GRAP in its earlier meetings had invoked actions under Stage I, Stage II, Stage III and Stage IV of the GRAP on dated 14.10.2024, 21.10.2024, 14.11.2024 and 17.11.2024 respectively.

2. Hon'ble Supreme Court of India in its Order dated 18.11.2024 in Writ Petition No. 13029/1985 (M.C. Mehta Vs Union of India) observed that till the Supreme Court passes further orders, the implementation of Stage-IV of GRAP will continue even if AQI drops below 450.

3. Further, Hon'ble Supreme court in its hearing on 05.12.2024, based on the air quality data placed before the Hon'ble SC, *inter-alia* observed and permitted the Commission to revoke Stage-IV but not to go below Stage-II of GRAP for the present.

4. The sub-Committee on GRAP, accordingly, in its meeting held on 5th December, 2024 further reviewed the air quality scenario in the region as well as the IMD/IITM forecasts and observed as under:

AQI of Delhi has continuously improved since 24.11.2024 and has been recorded as 165 ("Moderate") on 05.12.2024 at 4:00 PM, which is about 135 AQI points below the thresholds for invoking Stage-II (Delhi AQI 300-400).

As per the Air Quality & Weather forecast provided by IMD/IITM, there is a likelihood of AQI mainly to remain in "poor" category in the coming days.


5. The Sub-Committee, accordingly, hereby decides to revoke with immediate effect, its orders dated 17.11.2024 and 14.11.2024 respectively, for invoking actions under Stage-IV ('Severe+' Air Quality) and Stage-III ('Severe' Air Quality) of the GRAP.

6. Actions under Stage-I & II of the GRAP shall however remain invoked and be implemented, monitored and reviewed by all the agencies concerned in the entire NCR to ensure that the AQI levels do not slip further. All implementing agencies shall keep strict vigil and especially intensify measures under Stage-I & II of GRAP.

7. Construction & Demolition project sites and industrial units which have been issued specific closure orders on account of violations/ non-compliances of various statutory directions, rules, guidelines etc. under no circumstances shall resume their operations without any specific order to this effect from the Commission.

8. While GRAP Stage-IV & III are being revoked, keeping in view the winter season when weather conditions may not be always favorable and in order to ensure that the AQI levels do not slip further, citizens are requested to strictly adhere to the citizen charter.

9. The Sub-Committee, shall be keeping a close watch on the air quality scenario and review the situation from time to time for further appropriate decision depending upon the Air Quality in Delhi and forecast made by IMD/IITM.

  
(R.K. Agrawal)  
Director (Technical)

(Member Convener of Sub-Committee on GRAP)

**To:**

1. The Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, 101, Lok Bhawan, U. P. Civil Secretariat, Vidhan Sabha Marg, Lucknow - 226 001.
2. The Chief Secretary, Government of Rajasthan, Government Secretariat, Jaipur, Rajasthan - 302 005.
3. The Chief Secretary, Government of Haryana, 4<sup>th</sup> Floor, Civil Secretariat, Sector - 1, Chandigarh.
4. The Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, 3<sup>rd</sup> Floor, Delhi Secretariat, I. P. Estate, New Delhi - 110 002.
5. Additional Chief Secretary/Principal Secretary, Department of Environment, Uttar Pradesh.
6. Additional Chief Secretary, Department of Environment, Room No. 335, 3<sup>rd</sup> Floor, Haryana New Secretariat, Sector 17, Chandigarh.
7. Additional Chief Secretary / Principal Secretary, Department of Environment, Government of NCT of Delhi, Room No. 801, 8<sup>th</sup> Floor, B Wing, Delhi Secretariat, Delhi - 110002.
8. Principal Secretary, Department of Environment, Room No. 4224, 2<sup>nd</sup> Floor, Main Building, Government of Rajasthan Sectt. Jaipur.